भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में "मुख्य भौतिक चिकित्सिक" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में "मुख्य भौतिक चिकित्सिक" पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं।

(राम नरेश)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 23061843

नई दिल्ली

दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2024

सा.का.नि. ....-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य भौतिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य भौतिक चिकित्सक (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2024 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य भौतिकचिकित्सक	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-03,वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200/-रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) समग्र विधि द्वारा प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त या वैधानिक संगठन यासार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी (क)(i) जिसने पांच (5) वर्ष की नियमित सेवा के साथ नियमित आधार पर वेतन बैंड-3+ग्रेड वेतन 6600/-रु.में समान पद धारण किया हो । और । और ; (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी शाखा में फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री प्राप्त की हो । टिप्पणी 1:यदि विभागीय अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति के लिए चयनित होता है तो पद पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा; अन्यथा,पद प्रतिनियुक्ति /निर्धारित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/ अल्पकालीन संविदा पर अंत में जिसमे से विभागीय अधिकारी को पद की नियुक्ति पर विचार करने का अवसर प्रदान किया जाएगा । टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से ठीक पहले आयोजित की गई किसी अन्य संगठन के समान या केंद्र सरकार के विभाग में सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं करेगें । टिप्पणी 3 : आवेदन की रसीद या अंतिम तारीख से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से आवश्यक नहीं है।

ए.12018/03/2024-एम एच-II

(राम नरेश)

अवर सचिव, भारत सरकार